फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बिशनाराम वगैरह बनाम रामचन्द्र व सरकार

किस्म मुकदमा:-212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:-150/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरान्त जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/02/2020	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के नाम चक 2 जी0डी0एस0एम0के खाता ख्यां 58/50 के प0नं0 80/23(155) के कि0नं0 1/2,2/1,3/2, 5 ता 10/1, 11/2, 12 ता 20/1, 22 ता 25 में 5.440 हैक्टर अ0क0 रकबा खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने उक्त रकबा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 27.03.1992 से क्रय करके कब्जा प्राप्त किया हुआ है, यह रकबा प्रार्थीगण का स्वअर्जित रकबा है, इस रकबा को प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार ने मेहनत करके काबिल काश्त किया है। रकबा अ0क0 है किन्तु मौका पर ट्यूबैल से सिचिंत होता है तथा इस प0नं0 के कि0नं0 23 में प्रार्थीगण इस रकबा की सार सम्भाल हेतु ढ़ाणी बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का सगा भाई है। प्रार्थीगण ने इसे कि0नं0 22,23 का रकबा एक साल के लिए ठेके पर दिया था अब दिनांक 13.04.2014 को ठेका अवधि पूरी होने के बाद कब्जा छोड़ने को कहा तो वह मना कर गया तथा कहा कि वह कब्जा नही छोड़ेगा। प्रार्थीगण ने अपने नाम का रकबा भाई को सार सम्भाल हेतु दी थी परन्तु अब प्रार्थी ना तो ढ़ाणी छोड़ रहा है व ना ही रकबा छोड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रकबा पर अतिक्रमी है। इसलिये उक्त रकबा रिसीवर किया जावे व कब्जा रिसीवर को दिलाया जाकर काश्त की व्यवस्था रिसीवर से करवाई जावे व किसी कारण रिसीवर नियुक्त नही किया जाता है तो नकद प्रतिभूति राशि अप्रार्थी से जमा करवाई जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि वर्तमान में कि0न0 22 में रिहायशी मकान पूराराम वादी संख्या 2 का मकान, कि0न0 23 में अप्रार्थी संख्या 1 का मकान व कि0न0 24 में बिशनाराम वादी संख्या 1 का मकान तथा कि0न0 25 में उंचा धोरा है मौका पर कोई काश्त नही हो रही है। वादीगण द्वारा अप्राथी 1 को कोई भूमि ठेका पर नही दी है। अप्रार्थी संख्या 1 का कि0न0 23 में रिहायशी मकान बना हुआ है जो की पक्का निर्मित है। घरू समझौता के अनुसार लिखित इकरारनमा शर्त दिनांक 13.06.2000 को मिकर बिसनाराम द्वारा तहरीर की गई है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति इकरारनामा शर्त दिनांक 13.06.2000 अनुसार प्रार्थी संख्या 1 बिशनाराम ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प0न0 80/23 के कि0न0 22 ता 25 का इकरार किया हुआ है। उक्त इकरारनामा शर्त नोटेरी से तस्दीकशुदा है। अप्रार्थी संख्या 1 के कथन अनुसार उसके द्वारा कि0न0 23 में उसका रिहायशी मकान है। प्रकरण में विधि संगत कब्जा है या नही यह वाद पत्र में पूर्ण साक्ष्य व बयानों के आधार पर ही तय होना है व प्रकरण में भूमि क्षति भी सिद्ध नही होती है। इसलिये उक्त प्रकरण में रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:44:54 IST
Reason: SelfAttested